भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-315
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

मणिपुर में प्राध्यापकों की नियुक्ति

†*315. **डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मणिपुर सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त 603 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राध्यापकों को नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है जबकि उनकी सेवाओं को वर्ष 2022 में नियमित कर दिया गया था, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन प्राध्यापकों को नियमित नियुक्ति और वेतनमान प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और
(ग) इन प्राध्यापकों को नियमित नियुक्ति और वेतनमान कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

******

माननीय संसद सदस्य डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम द्‌वारा 'मणिपुर में प्राध्यापकों की नियुक्ति' के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 315 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की भर्ती और सेवा संबंधी अन्य मामले सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इस प्रकार, उच्चतर माध्यमिक विद्‌यालय प्राध्यापकों की नियुक्ति पूर्ण रूप से मणिपुर राज्य सरकार का मामला है।

*****